(b) if so, what are the reasons for the delay in its announcement; and

(c) when it is likely to be announced?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI VEERENDRA PATIL) (a) to (c) Government received the recommendations of the National Drugs & Pharmaceuticals Development Council in September 1984. A decision would be taken on the changes|modifications needed in the Drug Policy keeping in view all the relevant factors and various view points.

विभागों में अधिवक्ता

1720. **श्री हरिकेश नारायण यादव :**
श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग के मातहत किस कम्पनी और उद्योग द्वारा उनके मुकदमों की देख-रेख करने के लिए न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर कितने अधिवक्ताओं को पेनल में रखा गया है और उनमें से कितनों को प्रतिधारण व्यवस्था के अधीन रखा गया है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी फीस पर कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Loans and liabilities of Delhi Bottling Company

1721. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the last balance sheet filed by Delhi Bottling Company Private Limited shows accumulated loss to the tune of Rs. 35,96,505;

(b) whether it is a fact that the loans and liabilities of the company come to around Rs. 1,60,12,829, the entire paid up capital of Rs. 8,00,000 has been lost and the Company is unable to pay its debts; and

(c) for what reasons the Registrar of Companies has not filed a Winding up Petition under section 439(1) (c) of the Companies Act, 1956?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS AND HOME AFFAIRS (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN): (a) and (b) As per the balance sheet of Delhi Bottling Company Private Limited as at 31|12|83, the Company has an accumulated loss of Rs 35,96,505 as against its paid up capital of Rs.. 8,00,000, and the loans and liabilities of the company are to the tune of 1,60,12,829.

(c) The matter regarding filing of the Winding up Petition against the company under Section 439(1) (e) of the Companies Act (which provision of Law the Hon'ble Member seems to have in mind) is under examination of the Registrar of Companies, Maharashtra.

M/s. Parle (Exports) Private Limited

1722. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether M|s. Parle (Exports) Private Limited, and its subsidiaries are giving quantitative details of the products item-wise "product-wise" in the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the last five years, as required in Part II of Schedule VI of the Companies Act,, 1956; and

(b) if so, what action Government have taken or propose to take against the firm for the contravention of Section 211 of the Companies Act, 1956?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS AND HOME AFFAIRS (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN): (a) Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 requires a company to give value and quantity of each "class of goods" produced and not "product wise". As per balance sheets and Profit and Loss Accounts of Parle (Exports) Private Ltd., for the years ended 31st March, 1980 to 31st March, 1984 and the attached account of its subsidiaries thereto, the company has disclosed the information, both in quantity and value in respect of opening stock, purchases, production, sales closing stock and raw material consumed, in respect of each class of goods manufactured by the company and accordingly, it can be considered to have complied with the provisions of Part II of Schedule VI of the Companies Act, 1956.

(b) Does not arise, in view of (a) above.

निजी उद्यमियों द्वारा एजेंटों का नियुक्त किया जाना

1723. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एजेंटों की नियुक्ति की जाती है; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट किए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये एजेंट इन उत्पादों को निर्धारित दरों से अधिक दर पर बेच रहे हैं तथा खातों में बिना किसी इन्दराज के नकली/घटिया किस्म की वस्तुएं बेचते हैं जिसके द्वारा वे काला धन कमाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस पहलू पर निगरानी रखने के लिए कौन से उपाय करने का विचार रखती है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) (क) हां, श्रीमान् जी । एजेन्टों या वितरकों की नियुक्ति सामान्यतः पार्टियों के मध्य हुए करार द्वारा नियंत्रित की जाती है और केवल एकमात्र विक्रय एजेन्टों की नियुक्ति को कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है । इससे आगे, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294कक के अन्तर्गत एकमात्र विक्रय एजेन्टों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन केवल निम्नलिखित मामलों में अपेक्षित है :—

(1) एकमात्र विक्रय एजेंट कम्पनी में पर्याप्त हित रखता है ; और

(2) कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रु० या अधिक है ।

एकमात्र विक्रय एजेन्टों की नियुक्ति के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294कक के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए आवेदनों पर यह सुनिश्चित करने के लिए गुणावगुण पर विचार किया जाता है कि इस प्रकार की नियुक्ति उचित और युक्तियुक्त है तथा एकमात्र विक्रय एजेन्टों द्वारा की गई सेवाएं एकमात्र विक्रय एजन्टों के देय अदायगी/कमीशन के सम्मेय है ।

सरकार ने, अधिनियम की धारा 294कक के अन्तर्गत सीमेन्ट, वनस्पति, चीनी, कागज और थोक औषधियों की बिक्री के लिए कम्पनियों द्वारा एकमात्र विक्रय एजेंटों की नियुक्ति को वर्जित किया है ।

(ख) और (ग) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत उचित लेखा बहियों को रखना अपेक्षित है, और इन लेखाओं की यथा चार्टर्ड लेखापाल द्वारा लेखा परीक्षा की जानी अपेक्षित है । अगर बिक्री की उचित प्रविष्टि